रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936
No. 249] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेन्टाइरायथ्रिटाल" के आयातें पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं.15/19/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली या पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यत:, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा, चाइनीज ताइपेई, कनाडा और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेनटाइरायथ्रिटाल" (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच मूलत: दिनांक 22.11.2001 की अधिसूचना सं.48/1/2001-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की गई थी। उस जांच में दिनांक 08 अक्तूबर, 2002 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.48/1/2001-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा इन देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 31.10.2002 की अधिसूचना सं. 119/2002-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

3. यत:, प्राधिकारी द्वारा केवल चाइनीज ताइपेई और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच दिनांक 15 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 15/07/2006-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की थी। प्राधिकारी ने अपनी

दिनांक 6 मार्च, 2008 की अंतिम जांच परिणाम 25 मार्च, 2008 की शुद्धिपत्र अधिसूचना सं.15/7/2006-डीजीएडी के तहत संशोधन किया था, चाइनीज ताइपेई और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की सिफारिश की थी और केंद्रीय सरकार ने चाइनीज ताइपेई और जापान मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 28 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 55/2008-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

4. यत:, प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में मध्यावधि समीक्षा जांच दिनांक 22 जून, 2010 की अधिसूचना सं. 15/10/2010-डीजीएडी के तहत प्रारंभ की और दिनांक 17 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/10/2010-डीजीएडी के तहत चाइनीज ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को संशोधित करने की सिफारिश की। प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार ने संबद्ध वस्तु के चाइनीज ताइपेई से आयातों पर दिनांक 12 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 74/2011-सीमा शुल्क के तहत संशोधित पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

5. यत:, मैसर्स कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने अधिनियम एवं नियमों के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र चाइनीज ताइपेई और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आरोप लगाते हुए दायर किया है और चाइनीज ताइपेई एवं जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने उसकी निरंतरता बनाए रखने तथा उसमें संवृद्धि करने का अनुरोध किया है। तथापि, उसके कुछ समय पश्चात आवदेक ने अपने आवेदनपत्र में जापान का नाम वापस ले लिया।

6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन पत्र के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए दिनांक 25 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं.15/19/2012-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25.06.2013 की अधिसूचना सं.13/2013- सीमा शुल्क के तहत दिनांक 27.04.2014 तक बढ़ा दी है।

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में वह सभी पहलू शामिल होंगे जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में विगत जांच में शामिल थे।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

(i) प्राधिकारी में पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदनपत्र की प्राप्ति के सबंध में भारत में संबद्ध देश राजदूतावास को अधिसूचित किया।

(ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति के साथ एक पत्र सभी ज्ञात निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई। इस आवेदनपत्र की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

(v) संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों को प्रेषित पत्र एवं निर्यातक प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को यह अनुरोध करते हुए प्रेषित की कि वे संबद्ध देश के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देश के अन्य निर्याताकों/उत्पादकों को यह सुझाव दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रश्नावलियों का प्रत्युत्तर दें।

(vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देश में जानकारी प्रदान कराने के लिए प्रेषित की :

क. पर्सटार्प कैमिकल्स एशिया पीटीई लिमिटेड ताईवान

ख. मैसर्स ली चांग यांग कैमिकल इंडस्ट्री कारपोरेशन

ग. ताईपेई प्लसकेम इंडस्ट्रियल कंपनी

घ. पैरेला कैमिकल कंपनी लिमिटेड

(vii) तथापि किसी भी निर्यातक ने न तो निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया और न ही कोई अन्य प्रस्तुतिकरण किया।

(viii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तु के भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे नियम 6(4) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत करा दें।

प्रयोक्ता एसोसिएशन

क. इंडियन पेन्ट्स एसोसिएशन, 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता

ख. इंडियन रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन मार्फत यूनाइटेड इंक एंड वर्निस कपंनी लिमिटेड 37/40 सुभाष रोड, विले पार्ले (ईस्ट) मुंबई

ग. इंडियन स्माल स्केल पेंट एसोसिएशन, 104, शुभम सेंटर नं. 1बी, कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई।

आयातक/प्रयोक्ता

क. एडिसन पेन्ट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, हुजूर गार्डन, सेम्बियम, चेन्नई, तमिलनाडु

ख. बर्जर पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, एपीजे हाउस, डी. वाचा रोड, मुंबई

ग. सेन्चुरी एन्का लिमिटेड, भक्तावर, नरीमन प्वांइट, मुंबई

घ. सीवा स्पेशियलिटी कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, जवरोज अपार्टमेंट्स बी. देसाई मार्ग, मुंबई

ङ. कोट्स आफ इंडिया लिमिटैड, मैग्नम टावर्स, लोखण्डवाला काम्प्लेक्स, मुंबई

च. डेकरो पेन्ट्स, प्लाट नम्बर 154 156, फेज V, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जीदीमेटला हैदराबाद

छ. दुजोडवालापेपर कैमिकल्स लिमिटेड ग्राम अटकरगांव, तहसील खालापुर खापोली 410 203 जिला रायगढ़

ज. गार्गी इंडस्ट्रीज प्राप, डी-136, टीटीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच नाबेल –पेंट्स आफ थाणे, बेलापुर रोड, जिला थाणे, नवी मुंबई

झ. गुडलैस नैरोलक पेंट्स लिमिटेड, नैरोलक हाउस, जी कदम मार्ग, मुंबई

ञ. हार्डकैसल एंड वौड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बारबोर्न स्टेडियम, वी. नरीमन रोड, मुंबई

ट. हीरो डाई केम इंडस्ट्रीज, ओम डेयरी महाड नम्बर 3, ब्लॉक 18, 10वां तल, 80 नीपेन्सी रोड, मुंबई

ठ. हिन्दुस्तान इंक्स एंड रेजिन्स लिमिटेड, अपोलो एस्टेट, मोगरा पाडा रोड, मुंबई

ड. आईपीवी लिमिटेड, डी 19, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, बोयसर, थाणे महाराष्ट्र

ढ. जैनसन एंड निकलसन (आई) लिमिटेड, 225 एजेंसी, बोस रोड, कोलकाता

ण. मित्सु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिडास सहार प्लाजा, जेबी नगर, मुंबई

त. पारस डाईज एंड कैमिकल्स, डालामल चैम्बर्स, 17 वी. ठाकरसी रोड मुंबई

थ. रेजिन एंड पिग्मेट्स, प्लाट सं. 13, 14, सेक्टर 11, इंडिस्ट्रियल एरिया, पीष्मपुर, मध्य प्रदेश

द. पर्सटापर्स कैमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम पोखरन रोड, आफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वापी

ध. एवीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, 4 गणेश चन्द्र एवेन्यू, 7वां तल, कोलकाता

न. अलकान इंटर प्राइजेज, 11ए बहू बाजार स्ट्रीट, कोलकाता

प. कैमि कलर एजेंसी, 12 बोन फील्ड लेन, कोलकाता

फ. ईस्ट कार्प इंटरनेशनल, 28 अमरतल्ला स्ट्रीट कोलकाता

ब. गरवारे पालिएस्टर लिमिटेड, ईडेन हाल, एनीबेसेंट रोड वोर्ली, मुंबई

भ. एच आर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड मुक्ति चैतन्य सीएचएस, सैमुअल सट्रीट, मुंबई

म. लियो कैमप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, आगरा रोड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, घाटकोपर मुंबई

य. जमीर डाई कैम, खिमाजी मेथजी एचएसजी, इस्साजी स्ट्रीट, मुंबई

कक. सनमान ट्रेड इमोक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरू गोविंद सिंह इंडस्ट, गोरेगांव, मुंबई

खख. सराफ कैमिकल्स लिमिटेड, 132, एनीबेसेंट रोड, वोर्ली मुंबई

गग. बिग्योर पेंटस प्राइवेट, बीएलके 1, शाहीन अपार्टमेंट मार्वे रोड, मुंबई

घघ. डुजोडवाला पेपर कैमिकल्स लिमिटेड, 907, राहेज सेंटर, 214, नरीमन प्वाइंट, मुंबई

ड.ड. शालीमार पेंट्स लिमिटैड दिनेश शेख लेन, ह्रावण

(ix) किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने न तो कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और न ही कोई अन्य प्रस्तुतिकरा किया।

(x) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक है। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

(xi) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय निदेशालय से अनुरोध किया गया कि वह भारत में, जांच की अवधि सहित, पिछले तीन वर्षों में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विववरण प्रदान कराए और उक्त सूचना डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त की गई तथा इस जांच के लिए उसी को अपनाया गया।

(xii) उन निर्यातकों, उतपादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रदान की, उन्हें असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया।

(xiii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक खुली फाइल में रखा गया।

(xiv) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत तथा गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xv) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 9 सितम्बर, 2014 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई, जिसमें केवल घरेलू उद्योग और उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रतिभागिता की गई थीं, में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिम रूप से अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। मौखिम सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले घरेलू उद्योग से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों की लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें।

(xvi) जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और उनका इस जांच में समाधान कर दिया गया।

(xvii) प्राधिकारी के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ने जांच पूरी करने की समयावधि 24 अक्तूबर, 2014 तक बढ़ा दी है।

(xviii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक और स्थल सत्यापन किया गया।

(xix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कही आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ वहां हितबद्ध पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करे।

(xx) जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना तक पहुंच की मनाही की है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने इस अनिवार्य तथ्यों को "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर रिकार्ड किया और इन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना।

(xxi) प्रमुख नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए अनिवार्य समझे गए तथ्यों/आधारों से युक्त एक प्रकटन विवरण का प्रकटन सभी ज्ञात हितबद्ध को दिनांक 02.10.2014 को किया गया । केवल घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण का प्रत्युत्तर दिया है और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया।

(xxii) ***इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व कर रहा है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(xxiii) इस जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 53.69 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु का दायरा

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

9. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :-

(i) संबद्ध देश से भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा उत्पाद पेंटाइराथ्रिटाल है। पेंटाइराथ्रिटाल एक अर्णनिक यौगिक है। पदबंध इराइथ्रिटाल यह संकेत करता है कि इसमें चार हाइड्रक्सिल ग्रुप हैं और उपसर्ग "पेंटा" यह संकेत देता है कि इसके मोलिक्यूल में पांच कार्बन एटम हैं।

(ii) पेंटाइराथ्रिटाल का उत्पादन इलेक्ट्रोडायलसिस प्रथक्करण प्रौद्योगिकी या प्रकार्यात्मक क्रिस्टलीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जा सकता है। तथापि, इन दोनों प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में कोई खास अंतर नहीं है। पेंटाइराथ्रिटाल तकनीकी ग्रेड या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। इन दोनों ग्रेडों में प्रमुख अंतर शुद्धता, क्रिस्टल आकार और क्रिस्टलों की एकरूपता में होता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी ग्रेड के पेंटाइराथ्रिटाल और नाइट्रेशन ग्रेड के पेंटाइराथ्रिटाल के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं होता है। दोनों ही ग्रेडों का उत्पादन समान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जिस पेंटाइराथ्रिटाल की शुद्धता 98 प्रतिशत से अधिक और क्रिस्टल गठन बेहतर होता है उसका प्रयोग विस्फोटक उद्योग में किया जाता है और इसलिए इस ग्रेड को वाणिज्यिक बोलचाल में "नाइट्रेशन ग्रेड" के रूप में जाना जाता है। तथापि, नाइट्रेशन ग्रेड के रूप में माने जाने वाले पेंटाइराथ्रिटाल का प्रयोग अल्काइड रेजिन तथा अन्य उत्पादों (जहां अन्य ग्रेड "तकनीकी ग्रेड" पेंटाइराथ्रिटाल का प्रयोग किया जाता है) के लिए भी किया जा सकता है। इतना होते हुए ही दोनों ग्रेडों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, हालांकि इन दोनों ग्रेडों की कीमत में कुछ अंतर होता है। सामान्यत:, नाइट्रेशन ग्रेड की कीमतें अधिक होती हैं।

(iii) तथापि, उत्पादन प्रक्रिया में अधिकांशत: तकनीकी रोड का उत्पादन किया जाता है। नाइट्रेशन ग्रेड का उत्पादन 2 प्रतिशत से भी कम होता है। जबकि डाय- पेंटाइराथ्रिटाल का उत्पाद 0.5 प्रतिशत से भी कम होता है। 97 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तकनीकी ग्रेड का किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयात प्राथमिकता तकनीकी ग्रेड में ही किए जाते हैं। डाय- पेंटाइराथ्रिटाल और पेंटाइराथ्रिटाल दो अलग-अलग तरह के उत्पाद हैं। डाय- पेंटाइराथ्रिटाल इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे है।

(iv) पेंटाइराथ्रिटाल का अनुप्रयोग अल्काइडरेजित, रोजिन ईस्टर्स प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइजर्स आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, औषधों, प्राथमिक तेलों तथा सिंथेटिक लुब्रीकेंट्स के लिए किया जाता है।

(v) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों के ही भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण विपणन एवं वितरण, प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय गुणधर्म होते हैं। दोनों ही उत्पाद वाणिज्यिक रूप से एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनपीय है। उपभोक्तागण इन दोनों उत्पादों का प्रयोग अदल-बदल कर सकते हैं।

ग.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

10. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो कोई मुद्दा उठाया है और न ही कोई प्रत्युत्तर दिया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पेंटाइराथ्रिटाल है। पेंटाइराथ्रिटाल एक अर्णनिक यौगिक है। पदबंध इराइथ्रिटाल यह संकेत करता है कि इसमें चार हाइड्रक्सिल ग्रुप हैं और उपसर्ग "पेंटा" यह संकेत देता है कि इसके मोलिक्यूल में पांच कार्बन एटम हैं। पेंटाइराथ्रिटाल का अनुप्रयोग अल्काइडरेजित, रोजिन ईस्टर्स प्लास्टीसाइजर्स, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक्स के लिए स्टैबिलाइजर्स आशोधित ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर्स, विस्फोटकों, औषधों, प्राथमिक तेलों तथा सिंथेटिक लुब्रीकेंट्स के लिए किया जाता है।

12. पेंटाइराथ्रिटाल को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 2905.42 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तामान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

13. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों के ही भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण विपणन एवं वितरण, प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे पैरामीटरों के रूप में तुलनीय गुणधर्म होते हैं। दोनों ही उत्पाद वाणिज्यिक रूप से एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनपीय है। इस समान वस्तु से संबंधित मुद्दे का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मूल जांच एवं उसकी उत्तरवर्ती जांचों में पहले ही किया जा चुका है। संबद्ध देश से आयातित उत्पाद तथा याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए जा रहे उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। उपर्युक्त स्थिति के मुद्देनजर वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान उत्पाद माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

(i) यह याचिका मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।

(ii) याचिकाकर्ता के अलावा इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एशियन पेंट्स) द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि मैसर्स एशियन पेंट्स इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है तथापि कंपनी ने वर्ष 2011-12 में पेंटाइराथ्रिटाल के अपने उत्पादन के 52 प्रतिशत की ग्राही खपत की थी। मैसर्स एशियान पेंट्स के उत्पादन की ग्राही खपत को पात्र उत्पादन के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूरित पाटित सामग्री या भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

(iii) इससे पहले मैसर्स पर्सटार्प कैमिकल्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (पर्सटार्प इंडिया) नामक एक अन्य उत्पादक भी इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा था। तथापि पर्सटार्प इंडिया का वर्ष 2009-10 से इस उत्पाद का कोई घरेलू उत्पादन नहीं हुआ है।

(iv) न तो मैसर्स एशियन पेंट्स और न ही मैसर्स पर्सटार्प इंडिया को पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में माना जा सकता है।

(v) याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश से आयात नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, इसका संबद्ध देश के संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से कोई संबंध नहीं है।

(vi) आधार के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता ने मैसर्स एशियन पेंट्स को ग्राही खपत को शामिल करके तथा उसका अपवर्जन करके दोनों तरह से भारतीय उत्पादन का परिकलन किया है। मैसर्स एशियन पेंट्स को ग्राही खपत को अलग करके कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का उत्पादन 70 प्रतिशत बनता है और एशियन पेंट्स की ग्राही खपत को शामिल करके याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 55 प्रतिशत बनता है। इसलिए, याचिकाकर्ता इन दोनों ही मामलों में घरेलू उद्योग सिद्ध होता है।

(vii) इसलिए याचिकाकर्ता का इस उत्पाद के लिए भारतीय घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का पर्याप्त आधार है।

घ.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

15. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में न तो कोई मुद्दा उठाया है और न ही कोई प्रत्युत्तर दिया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

)"ख" (घरेलू उद्योग के विनिर्माण याका आशय समान वस्तु "उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा। "

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदनपत्र मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी पुन: यह नोट करते हैं कि आवेदक के अलावा भारत में इसके समान वस्तु का निर्माण मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा (जिसे एतद्पश्चात एशियन पेंट्स कहा गया है) किया जाता है। आवेदक ने दावा किया है कि ग्राही और व्यापारी बाजारों दोनों ही अलग-अलग बाजार हैं और पाटित आयात उत्तरवर्ती बाजार में ही आता है। यह दावा किया गया है कि ग्राही उत्पादक, जहां तक ग्राही उत्पादन का संबंध है, पाटित सामग्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। पुन: यह दावा किया गया है कि पर्सटार्प कैमिकल्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात "पर्सटार्प इंडिया" कहा गया है), जिसकी क्षमता पेंटाइराथ्रिटाल का उत्पादन करने की है, परंतु वह इस समय उसका उत्पादन नहीं कर रहा है।

18. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह निश्चय करना जरूरी नहीं है कि घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया गया मैसर्स एशियन पेंट्स पात्र है या नहीं, क्योंकि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, चाहे उसमें मैसर्स एशियन पेंट्स के ग्राही उत्पादन को शामिल किया जाए या नहीं। पर्सटार्प इंडिया के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है और इसलिए उसे घरेलू उद्योग के दायरे के अंतर्गत शामिल करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।

19. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में आवेदक का उत्पादन जब ग्राही प्रयोग का अपवर्जन कर दिया जाए तो कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। जब ग्राही उत्पादन को शामिल किया जाता है तब भी आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन में पचास प्रतिशत से अधिक बनता है। इस मुद्दे की जांच करने के पश्चात, यह नोट किया जाता है कि चूंकि आवेदक का उत्पादन, एशियन पेंट्स द्वारा ग्राही खपत को शामिल करके और शामिल न करके, दोनों ही तरह से, कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, इसलिए नियमावली के आशय के अंतर्गत आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर तथा पाटनरोधी

नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि मैसर्स कानोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है और यह याचिका के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है और यह याचिका नियमावली के नियम 5 के उल्लिखित शर्तों की प्रक्रिया को पूरा करती है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

20. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए है :

(क) चाइनीज ताइपेई के किसी भी उतपादक/निर्यातक में निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ख) चाइनीज ताइपेई की घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने और प्रकाशित स्रोतों से कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, घरेलू उद्योग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संगत सूचना के अभाव के कारण चाइनीज ताइपेई की घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की कीमत सूची या कुटेशन जैसी कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए, इसने चाइनीज ताइपेई के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्चे माल अर्थात चाइनीज ताइपेई में मिथनाल, अन्य सभी कच्चे माल की आयात कीमत और उपयोगिता लागत तथा घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम खपत मानको संपरिवर्तन लागत के सर्वोतृत प्राक्कलनों, बिक्री सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन पर विचार करते हुए किया है।

ड. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

21. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर या विधिक प्रस्तुतिकरण दायर नहीं किया है और न ही सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत या पाटन मार्जिन के संबंध में कोई आवश्यक सूचना प्रदान कराई है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण

22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चाइनीज ताइपेई के किसी भी निर्यातक ने कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में कोई सूचना, चाइनीज ताइपेई में उत्पादन लागत या तीसरी दुनिया के देश को निर्यात से संबंधित कोई सूचना और प्रश्नावली के अनुरूप कोई अन्य सूचना उस देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई में सामान्य मूल्य का निर्धारा प्रमुख नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उत्पादन लागत का आकलन करके किया है। चाइनीज ताइपेई के लिए इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण ताईवान सीमाशुल्क के अनुरूप चाइनीज ताइपेई में कच्चे माल अर्थात मेथनाल की आयात कीमत को अपनाकर किया है। अन्य सभी कच्चे माल तथा घरेलू उद्योग की उपयोगिता लागत का अंगीकरण सर्वोत्तम खपत कारकों तथा संगत अवधि के दौरान संपरिवर्तन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया है। उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य, एवं प्रशासनिक लागत तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है जिससे कि प्रस्तावित निर्मित सामान्य मूल्य पर पहुंचा जा सके।

ड.4 निर्यात कीमत का निर्धारण

23. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने चाइनीज ताइपेई से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया है। आवेदक ने निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों, जिनकी सूचना एक स्वतंत्र आंकड़ा प्रदाता एजेंसी आईबीआईएस द्वारा दी गई, के आधार पर की है। निर्दिष्ट प्राधिकरी ने खेपवार आयात आंकड़े भारत सरकार की एक एजेंसी डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए है। यह देखा जाता है कि डीजीसीआईएंडएस तथा आईबीआईएस दोनों द्वारा रिपोर्ट किए गए आयातों की मात्रा और कीमत तुलनीय है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है और भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धाराण् किया है। चाइनीज ताइपेई के निर्यातकों से असहयोग को ध्यान में रखते हुए आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। प्रस्तावित निर्यात कीमत का निर्धारण समुद्र भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन एवं अंतर्देशीय भाड़ा प्रभार के लिए समायोजन करने के पश्चात फैक्टरी बाह्य स्तर पर किया है।

ड.5 पाटन मार्जिन

24. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत पर विचार करते हुए प्रस्तावित पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक एवं पर्याप्त है।

पाटन मार्जिन तालिका

सामान्य मूल्य	अमरीकी डालर/एमटी	***
निर्यात कीमत	अमरीकी डालर/एमटी	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डालर/एमटी	***
पाटन मार्जिन %	%	***
पाटन मार्जिन रेंज	%	45-55

च. क्षति निर्धारण की क्रियापद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

25. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(क) मांग ने, जांच की अवधि के दौरान मामूली सी गिरावट को छोड़कर, ग्राही खपत को शामिल एवं अपवर्जित करते हुए दोनों तरह से, बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

(ख) चाइनीज ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों में प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में वृद्धि करने की सिफारिश के पश्चात वर्ष 2010-11 के दौरान गिरावट आई। तथापि, उसके पश्चात आयात की मात्रा में भारी वृद्धि हुई। सऊदी अरेबिया, जिसके विरूद्ध पाटनरोधी जांच दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को समाप्त कर दी गई थी तथा रूस, जिसके विरूद्ध पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा वर्तमान में की जा रही है, के आयातों में वृद्धि हुई है। उन अन्य देशों से आयात, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है (स्वीडन को छोड़कर चीन जनगण तथा ईयू) की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। स्वीडन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण 2011 में कर दिया गया। स्वीडन से भारतीय पत्तन पर आयात एक बार फिर भारी मात्रा में आना प्रारंभ हो गए हैं।

(ग) क्षति अवधि में भारी कीमत अधोरदन हुआ है।

(घ) आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की लागत एवं बिक्री कीमत से पर्याप्त रूप से कम है। जबकि, उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में ही अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई, तथापि बिक्री कीमत में उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में कम थी।

(ङ) यद्यपि उत्पादन में हल्की सी वृद्धि हुई तथापि जांच की अवधि में इसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घरेलू बिक्री मात्रा में वर्ष 2009-10 से जांच की अवधि में गिरावट आई है।

(च) संबद्ध देश तथा अन्य पाटन स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

(छ) घरेलू उद्योग वर्ष 2009-10 से घाटे में चल रही है। जांच की अवधि के दौरान यह घाटा बहुत अधिक रहा। आयातों का भारी कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश हो रहा है। आधार वर्ष और विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति इकाई बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, इस उत्पाद की प्रति यूनिट लागत प्रति यूनिट बिक्री कीमत की तुलना में बहुत अधिक है जिससे संपूर्ण क्षति अवधि में लाभप्रदायकता बहुत अधिक प्रभावित हुई है।

(ज) क्षति अवधि में आधार वर्ष की तुलना में नकद घाटा बढ़ गया। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक था।

(झ) घरेलू उद्योग की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि में वृद्धि हुई और विगत वर्ष की तुलना में इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ञ) घरेलू उद्योग की उत्पादकता उत्पादन के स्तर के समान बनी रही।

(ट) चाइनीज ताइपेई से आयातों के संबंध में परिकलित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

(ठ) पाटन मार्जिन के बिना कीमत अधोरदन बहुत अधिक है। ऐसी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो संबद्ध वस्तु से भारी कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन होगा।

(ड) क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह आदि के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

(ढ) अन्य कोई ऐसे कारक नहीं हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। संबद्ध देश के अलावा, कुछ अन्य देश से भी भारत को आयात हो रहा है परंतु इन पर या तो पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा है या उन पर जांच चल रही है। अन्य देशों से आयात न्यूनतम से कम हैं। इस उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। खपत की प्रणाली प्रौद्योगिकी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं या प्रतिस्पर्धा की उन स्थितियों में जिनसे क्षति कारित हो रही हो आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने भी घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है।

(ण) चारइनीज ताइपेई से पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही वास्तविक क्षति के बीच कारणत्मक संबंध है।

च.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

26. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में किसी भी उत्पादक/निर्यातक या अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयतों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलुओं पर जांच के लिए अग्रसर होने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति के संबंध में कार्रवाई की।

28. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

29. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्रमुख नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उन संकेतकों की जांच की गई जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक लाभप्रदाता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं मात्रा आदि।

30. वर्तमान जांच प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसलिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित विचार करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय चाइनीज ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या उस पाटन का विरोध करने के लिए, जो क्षति कारित कर रहा है, पाटनरोधी उपाय की जांच करना पर्याप्त है या नहीं।

31. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तब तक वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार का किसी समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो यह समय-समय पर, इस अधिरोपण को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

32. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच की तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों तथा क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए कीमत एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच मैसर्स कानोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो

नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

च. 4 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव एवं घरेलू उद्योग पर इसका प्रभाव

क) मांग एवं बाजार हिस्सा

33. घरेलू उद्योग ने भारत में इस उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा भारत में सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तु का आयात, एशियन पेंट्स द्वारा ग्राही खपत को शामिल करके और अलग करके दोनों रूपों में, को जोड़कर की है। इस तरह आकलित मांग को अधोलिखित तालिका में ग्राही उत्पादन को अलग एवं शामिल करते हुए देखा जा सकता है। यह देखा जाता है कि देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2011-12 तक बढ़ी है और फिर जांच की अवधि में इसमें हल्की सी गिरावट आई है। तथापि इस मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई, वही संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात में पहले तो वर्ष 2010-11 में गिरावट आई और फिर उनमें वृद्धि हुई।

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि***
घरेलू उद्योग की वृद्धि	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	4,549	5,400	5,400	5,400
आयात चाइनीज ताइपेई (एसएसआर)	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
आयात – रूस (चालू)	एमटी	0	300	900	1,153
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
कुल मांग	एमटी	22,592	25,614	26,766	26,684
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	29.77	25.88	24.35	23.71
अन्य भारतीय उत्पादक	%	20.14	21.08	20.17	20.24
आयात – ताइपेई (एसएसआर)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
आयात- रूस (सतत)	%	-	1.17	3.36	4.32
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	33.83	22.25	16.90	7.15
अन्य देश	%	5.16	24.84	29.08	37.48

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

भारत में मांग एवं बाजार हिस्सा (ग्राही खपत के अलावा)

विवरण	**यूनिट**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि***
घरेलू उद्योग की वृद्धि	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	2,125	2,509	2,592	2,592
आयात चाइनीज ताइपेई (एसएसआर)	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
आयात – रूस (चालू)	एमटी	0	300	900	1,153
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि*
कुल मांग	एमटी	20,168	22,723	23,958	23,876
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	33.35	29.17	27.20	26.50
अन्य भारतीय उत्पादक	%	10.54	11.04	10.82	10.86
आयात – ताइपेई (एसएसआर)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
आयात- रूस (सतत)	%	-	1.32	3.76	4.83
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	37.90	25.08	18.88	7.99
अन्य देश	%	5.78	28.00	32.49	41.89

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

ख) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

34. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के संगत या समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में आयातों का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है :

आयात मात्रा	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि*
चाइनीज ताइपेई	एमटी	2,507	1,223	1,641	1,895
प्रवृत्ति		*100*	*49*	*65*	*76*
आयात – रूस (चालू)	एमटी	0	300	900	1,153
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	7,643	5,700	4,524	1,908
अन्य देश	एमटी	1,167	6,362	7,784	10,001
कुल आयात	एमटी	11,317	13,585	14,849	14,957
चाइनीज ताइपेई से निम्नलिखित के संबंध में आयात					
कुल आयात	%	22.16	9.00	11.05	12.67
खपत (ग्राही खपत सहित)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
खपत (ग्राही खपत को छोड़कर)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
उत्पादन (ग्राही खपत सहित)	%	22.48	10.29	13.78	15.90
उत्पादन (ग्राही खपत रहित)	%	28.72	13.60	18.03	20.80

*जांच की अवधि – जनवरी, 2012 – दिसम्बर, 2012

35. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में वर्ष 2010-11 में गिरावट आई, परंतु उसके बाद मौजूदा पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध देश के संबंध में मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क के उर्ध्वगामी संशोधन के बावजूद उसमें वृद्धि हुई। भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा, भारत में स्पष्ट मांग/खपत और भारत में कुल उत्पाद के संबंध में समग्र आयातों ने वही प्रवृत्ति अपनाई। यह वह मामला है कि इसमें ग्राही खपत को शामिल किया गया हो या न किया गया हो।

च. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

36. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संबंध में की गई। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के उतराई मूल्य से की गई। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की तुलना पाटित आयातों के उतराई तथा घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए करों, रिबेट, डिस्काउंट्स और कमीशन का समायोजन किया गया है। कीमत अधोविक्रयण क्षति का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इस प्रकार, प्राधिकारी ने एक गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया तथा उसकी तुलना, कीमत अधोविक्रयण की सीमा पर पहुंचने के लिए उतराई मूल्य से की गई। घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करते हुए किया गया।

क) कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण

37. कीमत अधोरदन/अधोविक्रयण की जांच निम्नवत की गई है :

कीमत अधोरदन

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर)	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*106*	*132*	*150*
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*110*	*143*	*158*
पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*109*	*150*	*173*
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*87*	*81*	*115*
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*56*	*-183*	*-248*
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*82*	*62*	*77*
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन %	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*53*	*-139*	*-166*
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत अधोरदन %	रेंज	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोरदन %	रेंज	5-10%	0-5%	-5 to -10%	-5 to -10%

कीमत अधोविक्रयण

घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोविक्रयण	%	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण रेंज	%	35-45%
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण रेंज	%	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण	%	5-15%

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से बहुत कम है, जिसके कारण भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क के साथ, उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक कीमत अधोरदन हुआ परंतु वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। तथापि, पाटनरोधी शुलक के साथ और पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है, एतदद्वारा भारी कीमत अधोरदन प्रभाव हुआ है।

(ख) कीमत निग्रहण एवं अवमंदन

39. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागत से की गई। उदधृत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत से कम रही, इसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अधोरदन प्रभाव पड़ा

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*111*	*130*	*157*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*106*	*129*	*147*
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*-100*	*-258*	*-154*	*-427*
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*110*	*143*	*158*

च. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों पर प्रभाव

40. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक

गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले उपादान, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

41. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों का वर्णन निम्नलिखित हैं :

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

42. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपभोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
संस्थापित क्षमता	एमटी	6,000	6,000	7,000	7,000
उत्पादन पीयूसी	एमटी	6,453	6,481	6,508	6,517
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*101*	*101*
उत्पादन – एनपीयूसी	एमटी	52	52	52	44
कुल उत्पादन	एमटी	6,505	6,533	6,560	6,560
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*101*	*101*
क्षमता उपयोग	%	108	109	94	94
प्रवृत्ति		*100*	*100*	*86*	*86*
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	6,725	6,629	6,518	6,327
प्रवृत्ति		*100*	*99*	*97*	*94*

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में, मांग में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। संबंधित उत्पादन की क्षमता में वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग द्वारा वृद्धि की गई। उत्पादन की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान मामूली सी वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में वर्ष 2011-12 में कमी आई और जांच की अवधि में क्षमता में वृद्धि हुई।

44. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में, मांग में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

(ख) लाभ, लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

45. घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर अर्जन तथा नकद लाभ की जांच निम्नवत् की गई है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	***जांच की अवधि***
बिक्री लागत	रुपए/ एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*111*	*130*	*157*
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*106*	*129*	*147*
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(258)*	*(154)*	*(427)*
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***

प्रवृत्ति		*(100)*	*(255)*	*(150)*	*(402)*
पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(221)*	*(126)*	*(359)*
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(410)*	*(205)*	*(707)*
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (एनएफए आधार)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*(100)*	*(273)*	*(121)*	*(265)*

46. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

(i) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई। तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

(ii) संपूर्ण क्षति अवधि में लाभप्रदता ऋणात्मक रही। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विगत में तथा चालू क्षति अवधि में यह क्षति पाटित आयातों द्वारा अनुप्रमाणित हुई है। जांच की अवधि में लाभप्रदता काफी विपरीत रही।

(iii) लाभ, नकद लाभ, कर एवं ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ने भी लाभप्रदता की प्रवृत्ति का ही अनुपालन किया। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान यह सभी पैरामीटर ऋणात्मक रहे।

(iv) यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को लाभ से संबंधित पैरामीटरों के संबंध में निरंतर क्षति हो रही है। इन पैरामीटरों के संबंध में उद्योग की स्थिति में वर्तमान स्रोत से पाटन के अलावा नवीन स्रोत से पाटन होने के कारण जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है।

(ग) वेतन एवं रोजगार

47. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर एवं वेतन की स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
रोजगार	संख्या	67	67	67	67
वेतन एवं पारिश्रमिक	लाख रुपए	***	***	***	***

48. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के रोजगार स्तर स्थिर बना रहा। ऐसा क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि के बावजूद हुआ है। क्षति अवधि में वेतन एवं पारिश्रमिक में वृद्धि हुई।

(घ) उत्पादकता

49. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	97.10	97.51	97.91	97.92
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी	18.59	18.67	18.74	18.74

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता प्रति कर्मचारी और उत्पादकता प्रतिदिन संपूर्ण क्षति अवधि में समान स्तर पर बने रहे।

(ड.) मालसूची

51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	**इकाई**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच की अवधि**
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*30*	*1*	*112*

52. उपर्युक्त तालिका में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2011-12 तक गिरावट आई और उसमें जांच की अवधि में भारी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

(च) पाटन की मात्रा

53. पाटन की मात्रा, जो इस बात का संकेतक है कि पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति पहुंचाई जा सकती है, दर्शाती है कि जांच की अवधि में संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं बल्कि बहुत अधिक है।

(छ) पूंजी उगाहने की क्षमता

54. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान कार्य स्थितियों में जब लगातार पाटन के कारण उत्पाद निरंतर रूप से ठीक से निष्पादन नहीं कर रहा है, किसी नवीन निवेश की प्रकल्पना नहीं की जा सकती है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन की स्थिति में पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता संगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहुउत्पाद कंपनी है।

ज) वृद्धि

55. घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच की अवधि**
उत्पादन	%	-	0.43	0.42	0.13
घरेलू बिक्री	%	-	-1.43	-1.68	-2.93
मालसूची	%	-	-69.81	-95.32	7,826
प्रति एमटी	%	-	-158	40	-177
निवेश पर अर्जन (एनएफए)	%	-	-7.37	6.48	-6.14

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने तथा उसमें उपरिगामी संशोधन किए जाने के बावजूद लाभ तथा नियोजन पूंजी पर प्रतिलाभ के रूप में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु इस अवधि में उत्पादन में वृद्धि की मात्रा में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में कमी आई है। मालसूची में पहले गिरावट आई फिर जांच की अवधि में उसमें भारी वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि क्षति अवधि के दौरान विपरीत रही है।

(झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक :

57. संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातें के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, की जांच यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एवं गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में पाटनरोधी शुल्क के बिना तथा पाटनरोधी शुल्क सहित दोनों स्थितियों में भारी कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण कारित हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग जांच की अवधि में भारी वृद्धि प्रदर्शित कर रही थीं और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अत:, घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक संबद्ध देश तथा अन्य पाटनकर्ता देशों से संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य है।

च.5 अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

58. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षतिकारित की है या नहीं, यह निम्नवत् है :

(क) मांग में संकुचन और/या खपत की प्रणाली में परिवर्तन

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान, जांच की अवधि के दौरान हल्की सी गिरावट के बाद, वृद्धि हुई। तथापि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। अत:, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षतिकारित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस उत्पाद की खपत की प्रणाली में परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(ख) उन आयातों की मात्रा एवं कीमत जिनकी बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई :

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा संबद्ध वस्तु के इयू (स्वीडन को छोड़कर) और चीन से होने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। प्राधिकारी ने सऊदी अरेबिया से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी जिसे प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि प्राधिकारी द्वारा सऊदी अरेबिया के एकमात्र निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने रूस से आयातों के संबंध में एक जांच प्रारंभ की थी जो अभी चल रही है। अन्य सभी देशों से आयात न्यूनतम है।

(ग) घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रकियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के बीच, इसके सिवाय कि एक स्पष्ट बाजार अर्थव्यवस्था है, कोई बोधगम्य प्रतिस्पर्धा नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु के लिए केवल एक ही बाजार है जहां संबद्ध देश के पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित संबद्ध वस्तु के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु दोनों समान वस्तुएं हैं और उनका प्रयोग समान अनुप्रयोग/अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया या प्रतिस्पर्धा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षतिकारित हो रही हो।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद या उसके विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(ड.) निर्यात निष्पादन

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का निर्यात तो करती है। तथापि, वर्ष 2011-12 में निर्यात बिल्कुल शून्य हो गए और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में यह कम रहे। तथापि, घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति से संबंधित सूचना की यथासंभव सीमा तक पृथक रूप से जांच की गई। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई भी गिरावट निर्धारित की गई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात	एमटी	20	40	-	10

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में इस अवधि में उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप मामूली सी वृद्धि हुई है। अत: उत्पादकता में गिरावट निर्धारित क्षति का एक कारक नहीं हो सकती है।

(छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति का एक संभावित कारण नहीं हो पाया गया है क्योंकि इस जांच में समान वस्तु के संबंध में सभी पैरामीटरों की जांच की गई है।

66. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से निर्धारित क्षति कारित नहीं की गई है, तथापि निम्नलिखित पैरामीटर्स यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा ही कारित की गई है।

(i) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में वर्ष 2010-11 के पश्चात् वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और उनसे कीमत निग्रहण भी हो रहा है।

(iii) क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि के बावजूद इस उत्पाद की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

(iv) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद इस स्रोत से पाटित आयातों की भारी मात्रा आती रही। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और अधिक तीव्र हो जाएगा तथा उससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने लगेगी।

च.6 क्षति संबंधी निष्कर्ष एवं कारणात्मकता

67. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन तथा खपत के संगत रूप से इस तथ्य के बावजूद बहुत अधिक रही है पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था तथा उसे मध्यावधि समीक्षा जांच में संशोधित करके और अधिक बढ़ाया भी गया था। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तथापि, इस अवधि के दौरान बिक्री में गिरावट आई है। लाभ से संबंधित पैरामीटर भी पर्याप्त मात्रा में विपरीत हो गए थे। जांच की अवधि में मालसूची में भारी वृद्धि हुई। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भारी क्षति हुई है।

च.7 पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति होने की संभावना घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

68. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) संबद्ध देश से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन होता रहा। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो उससे विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से पाटन और अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

(ii) संबद्ध देश से आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से बहुत कम है। इसलिए यह उत्पाद पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति कर दिए जाने की स्थिति में आक्रामक रूप से भारतीय बाजार को अपना लक्ष्य बनाएंगे।

(iii) संबद्ध देश के निर्यातकों की क्षमता भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है। एक उत्पादक की चांग कुंग की उत्पादन क्षमता ही 23000 टन प्रति वर्ष है।

(iv) संबद्ध देश के उत्पादकों में से एक उत्पादक की ज्ञात उपलब्ध क्षमता पर विचार करते हुए और यह मानते हुए कि भारतीय मांग लगभग 25000 एमटी है, इस बात की तीव्र संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी।

(v) जांच की मौजूदा अवधि में पाटित आयातों की मात्रा बहुत अधिक बनी रही और पाटन मार्जिन भी बहुत अधिक है। इससे स्पष्टत: यह सिद्ध होता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की स्थिति बने रहने और उसमें तीव्रता होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में भारी चालू पाटन मार्जिन पाटन की संभावना का सशक्त संकेतक है।

(vi) संबद्ध देश से पाटित आयात बहुत अधिक बने रहे और उनका बाजार हिस्सा भी बहुत अधिक बना रहा। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण भारी कीमत अधोरदन हुआ। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से भारी कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन प्रभाव कारित होगा।

(vii) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग पाटित आयातों से होने वाली क्षति के लिए सुग्राहय है। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन एवं पाटित आयातों की मात्रा का मौजूदा स्तर इस बात की भारी संभावना सृजित करता है कि शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि संबद्ध देश के पास बेशी क्षमताएं हैं।

(viii) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बिक्री करना पसंद करता है तो घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ेगा। निवेश पर प्रतिलाभ एवं नकद लाभ पहले से ही भारी मात्रा में ऋणात्मक है और उनमें और अधिक गिरावट आ जाएगी।

(ix) प्राधिकारी द्वारा जांच

69. मौजूदा जांच चाइनीज ताइपेई से पेंटाराइथ्रियल के आयातों पर पहले से ही अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण वांछनीय है। इसके लिए इस तथ्य पर विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का उपशमन करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। इस मामले में, चूंकि निरंतर पाटित आयात हो रहे हैं इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या टनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में इस उत्पाद के पाटन की निरंतरता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। संबद्ध देश से उत्पादक और निर्यातक संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। विगतवर्ती जांच में भी पाटन मार्जिन बहुत अधिक था। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि मौजूदा शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटन में तीव्रता नहीं आएगी।

मौजूदा एवं पिछले मार्जिन का स्तर

70. विगतवर्ती जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और अब आकलित पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्यात पाटित कीमतों पर किए जाते रहे और यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटित कीमतों पर उनका होना जारी रहने की संभावना है। चाइनीज ताइपेई से आयातों की मात्रा में वर्ष 2010-11 में गिरावट आई थी और उनमें तत्पश्चात वृद्धि हुई और मध्यावधि समीक्षा जांच के पश्चात् पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन कर दिए जाने पर भी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में बने रहे। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क के बिना भारी कीमत अधोरदन और जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क सहित और शुल्क के बिना दोनों स्थितियों में अधोविक्रयण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, और पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

71. वह कीमत जिस पर चाइनीज ताइपेई से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है पाटन की निरंतरता की संभावना की बहुत बड़ी संकेतक है। भारत में उतराई कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के बिना भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से भारतीय कीमतें इन निर्यातकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक हो जाएंगी और इस बात की सुदृढ़ संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता बढ़ती मांग के कारण इनका भारी मात्रा में आयात करेंगे।

संबद्ध देश की भारी क्षमताएं

72. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार चाइनीज ताइपेई में केवल एक उत्पादक के पास ही इतनी क्षमता है जो संबद्ध वस्तु की कुल भारतीय मांग के लगभग बराबर है। यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो इस बात की तीव्र संभावना है कि चाइनीज ताइपेई के उत्पादक संबद्ध वस्तु का पाटन तीव्र कर देंगे।

पाटन एवं क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

73. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन करके वृद्धि करने के बावजूद संबद्ध देश से आयातों के मौजूदा स्तर पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन की तीव्रता होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पुन: यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत घरेलू कीमत का अधोरदन करेगी और उसका घरेलू कीमतों पर भारी निग्रहणकारी प्रभाव भी होगा।

क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

74. प्राधिकारी ने घरेलू उ़द्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया है। घरेलू उद्योग की इस गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के उतराई मूल्य से की है। प्रस्तावित क्षति मार्जिन का परिकलन निम्नवत् किया गया है :

क्षति मार्जिन

विवरण	**यूएस डालर/एमटी**
विनिमय दर	***
गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी)	***
उतराई कीमत	***
क्षति मार्जिन	***
क्षति मार्जिन %	***
क्षति मार्जिन % रेज	35-45

75. यह नोट किया जाता है कि यथानिर्धारित क्षति मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है।

ज. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

76 का उद्देश्य रूप से पाटनरोधी शुल्कसामान्य . उस पाटन का उपशमन करना है जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है और भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति पुनपितस्था : करना है जो देश के सामान्य हित में हो। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उन उत्पादों की कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है जिनका विनिर्माण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापिपाटनरोध ,में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत र्धापाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्प ,ी शुल्क का अधिरोपण पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर कर देगा घरेलू उद्योग ,में और अधिक गिरावट आने से बचाएगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगी की ओं को संबद्ध वस्तुइससे उपभोक्ता ,इसलिए , ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।उपलब्ध उपभोक्तागण अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण

77. किसी भी निर्यातक/आयातक/प्रयोक्ता और अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन पश्चात् कोई भी विवरण प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण

78. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(i) किसी भी विदेशी उत्पादक ने इस समीक्षा जांच में न तो सहयोग किया और न ही प्रतिभागिता की।

(ii) निर्यात पाटित कीमतों पर आते रहे।

(iii) घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत और निवेश को निवल मौजूदा मूल्य पर प्रतिलाभ पर विचार करते हुए गैर-क्षतिकारी कीमत का पुर्निर्धारण किया जा सकता है।

(iv) पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन दोनों ही महत्वपूर्ण है तथा जांच की अवधि में सकारात्मक है, जिससे पाटन एवं क्षति की संभावना बनी हुई है।

(v) "पेनटाइरायथ्रिटाल" पर पाटनरोधी शुल्क पांच अन्य वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

(vi) यह शुल्क निर्धारित रूप एवं यूएस डालर रूप में अधिरोपित की जानी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

79. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि घरेलू उद्योग के उपर्युक्त तर्क पुनरावृत्तिक हैं और उनका प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के साथ-साथ इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में निराकरण कर दिया गया है।

झ. निष्कर्ष

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चाइनीज ताइपेई के किसी भी निर्यातक और भारत में किसी भी आयातक/उपभोक्ता ने तथा अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच में प्रतिभागिता नहीं की है अर्थात् उन्होंने न तो जांच शुरुआत पश्चात् प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही मौखिक सुनवाई में भाग लिया अथवा कोई प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण किया। घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों प्रदान कराई गई सूचना और किए गए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं क्षति की निरंतरता की संभावना का विश्लेषण और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरणों का विश्लेषण सहित उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं और सिफारिश करते हैं :

(i) संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन तथा खपत के संगत रूप से इस तथ्य के बावजूद बहुत अधिक रही है पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था तथा उसे मध्यावधि समीक्षा जांच में संशोधित करके और अधिक बढ़ाया भी गया था।

(ii) पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन दोनों ही महत्वपूर्ण है तथा जांच की अवधि में सकारात्मक है, जिससे पाटन एवं क्षति की संभवना बनी हुई है।

(iii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भारी क्षति हुई है।

(iv) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में संशोधन करके वृद्धि करने के बावजूद संबद्ध देश से आयातों के मौजूदा स्तर पर विचार करते हुए यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन की तीव्रता होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(v) वह कीमत जिस पर चाइनीज ताइपेई से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है पाटन की निरंतरता की संभावा की बहुत बड़ी संकेतक है। भारत में उतराई कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के बिना भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से भारतीय कीमतें इन निर्यातकों के लिए बहुत अधिक आकर्षक हो जाएंगी और इस बात की सुदृढ़ संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता बढ़ती मांग के कारण इनका भारी मात्रा में आयात करेंगे।

(vi) पुन: यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत घरेलू कीमत का अधोरदन करेगी और उसका घरेलू कीमतों पर भारी निग्रहणकारी प्रभाव भी होगा।

सिफारिशें

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच प्रारंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और घरेलू उद्योग निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध एवं संभाव्यता के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। तथापि, इस जांच में केवल घरेलू उद्योग ने ही प्रत्युत्तर दिया। पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों तथा पाटन एवं मार्जिन की संभावना की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति की स्थापना करने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणामी "क्षति" को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से होने वाले संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधोलिखित विहित स्वरूप और ढंग से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

82न में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से नियम को ध्यानतर शुल्कप्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यू . न्यनूतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर की जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्याति संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उपशीर्ष-	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	चाइनीज ताइपेई	चाइनीज ताइपेई	कोई भी	कोई भी	664	एमटी	यूएस डालर
2	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	चाइनीज ताइपेई	कोई भी अन्य	कोई भी	कोई भी	664	एमटी	यूएस डालर
3	2905 42	"पेनटाइरायथ्रिटाल	कोई भी अन्य	चाइनीज ताइपेई	कोई भी	कोई भी	664	एमटी	यूएस डालर

83 इस .अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962) 1962 ,का (52के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलनयोग्य मूल्य होगा और उसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 ,क3 ,3ख 9 ,और क के 9 शामिल होंगे। (ड्यूटीम्सकस्ट) सभी सीमाशुल्क के सिवाय अन्यअंतर्गत शुल्कों

84द कर एवं सेवा कर उत्पा , अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्ककेंद्रीय सरकार इस आदेश के विरूद्ध सीमाशुल्क . अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

(Final Findings)

Subject: Final Findings in the Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of "Pentaerythritol" originating in or exported from Chinese Taipei-reg.

No. 15/19/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof (hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules):

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. WHEREAS, originally an anti dumping investigation concerning imports of "Pentaerythritol" (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Canada and Japan, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 48/1/2001-DGAD dated 22.11.2001. On the basis of the recommendations made by the Authority in that investigation vide Final Findings Notification No. 48/1/2001-DGAD dated 8th October, 2002, anti-dumping duty (ADD) was imposed by the Central Government vide Notification No.119/2002-Customs dated 31.10.2002 on the imports of the subject goods, originating in or exported from these countries.

3. WHEREAS, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority, in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and Japan only, vide Notification No 15/07/2006-DGAD dated 15th March 2007. The Authority vide its Final Finding Notification No.15/7/2006 -DGAD dated 5th March, 2008, amended vide Corrigendum Notification No 15/7/2006-DGAD dated 25th March, 2008, recommended continued imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from Chinese Taipei and Japan and the Central Government vide its Notification No. 55/2008-Customs dated 28th April, 2008, imposed anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and Japan.

4. WHEREAS, the Authority initiated a Mid-Term Review (MTR) investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei, vide notification No 15/10/2010-DGAD dated 22nd June, 2010 and vide Notification No 15/10/2010-DGAD dated 17th June, 2011 recommended modified anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei. On the basis of the recommendations of the Authority, the Central Government vide Notification No 74/2011-Customs dated 12th August, 2011, imposed the modified anti-dumping duty on the imports of the subject goods from Chinese Taipei.

5. WHEREAS, M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited (hereinafter also referred to as the applicant) filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation/recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and Japan and consequent injury to the domestic industry and requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duty, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and Japan. However, subsequently, the applicant withdrew their application in respect of Japan.

6. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a Sunset review investigation vide Notification No 15/19/2012-DGAD dated 25th April, 2013 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei

(hereinafter also referred to as the subject country) and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country has been extended up to 27.04.2014 by the Central Government vide Notification No 13/2013-Customs(ADD) dated 25.06.2013.

7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed in this investigation:

(i) The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Anti-dumping Rules.

(ii) The Authority issued a public notice dated 25th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

(iii) The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.

(iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules. A copy of the application was also made available to other interested parties, upon request.

(v) Copies of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/producers in the subject country were also sent to the embassy of the subject country in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject country as also other exporters / producers from the subject country to respond to the questionnaires within the prescribed time limits.

(vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with the Anti-dumping Rules:

a. Perstorp Chemicals Asia Pte Ltd., Taiwan

b. M/s Lee Chang Young Chemical Industry Corporation

c. Taipei Pluschem Industrial Company

d. Parella Chemical Co. Ltd

(vii) However, none of the exporters filed response to the exporter's questionnaire or made any other submissions.

(viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

User Associations

(a) Indian Paints Association, 4, India Exchange Place, Calcutta

(b) Indian Resin Manufacturers' Association, C/o United Ink and Varnish Co. Ltd., 37/40 Subhash Road, Vile Parle (E), Mumbai

(c) Indian Small Scale Paint Association, 104, Shubham Centre No. 1B, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai

Importers/Users

(a) Addison Paints and Chemical Ltd., Huzur Garden, Sembiam, Chennai, Tamil Nadu

(b) Berger Paints India Limited, Apeejay House, D.Wacha Road, Mumbai

(c) Century Enka Limited, Bhaktawar, Nariman Point, Mumbai

(d) Ciba Specialty Chemicals (India) LT Navroz Apts., B. Desai Marg, Mumbai

(e) Coates Of India Ltd., Magnum Twrs., Lokhandwala Comp, Mumbai

(f) Decro Paints, Plot No. 154 156, Phase V, Industrial development area, Jeedimetla, Hyderabad

(g) Dujodwala Paper Chemicals Ltd., Village Atkargaon, Tal-Khalapur, Khapoli-410 203, Dist-Raigad

(h) Gargi Industries Prop., D-136, TTC, Indl. Area, B/H Noble, Paints, Off, Thane, Belapur Road, Dist-Thane, Navi Mumbai

(i) Goodlass Nerolac Paints Ltd., Nerolac House, G. Kadam Marg, Mumbai

(j) Hardcastle & Waud Mfg Co Limited, Brabourne Stadium, V, Nariman Rd., Mumbai

(k) Hero Dye Chem Industries, Om Diary, Mahad No-3, Block-18, 10th Floor, 80 Nepencee Road, Mumbai

(l) Hindustan Inks and Resins Ltd., Apollo Estate, Mogra Pada Rd., Mumbai

(m) IVP Ltd., D 19, MIDC Industrial area, Boisar, Thane, Maharashtra

(n) Jenson & Nicholson (I) Ltd., 225 AJC, Bose road, Kolkata

(o) Mitsu Inds.Limited, Midas Sahar Plaza, JB Nagar, Mumbai

(p) Paras Dyes and Chemicals, Dalamal Chambers, 17 V.Thackersey Rd., Mumbai

(q) Resin and Pigments, Plot No. 13,14, Sector-11, Indl. Area, Pitham Pur, Madhya Pradesh

(r) Perstorp Chemicals India Pvt. Ltd., 1st Pokhran Road. Off Eastern Express Highway. Vapi

(s) A.V.M. Sales Pvt. Ltd., 4, Ganesh Chandra Avenue, 7th Floor, Kolkata

(t) Alcon Enterprises, 11 A Bowbazar Street, Kolkata

(u) Chemi Colour Agency, 12 Bone Field Lane, Kolkata

(v) Eastcorp International, 28 Amartala Street, Kolkata

(w) Garware Polyester Ltd., Eden Hall, A Besant Road, Worli, Mumbai

(x) H. R. Trading Co. Pvt. Ltd, Mukti Chaitnya CHS, Samuel Street, Mumbai

(y) Leo Chemoplast Pvt. Ltd., Agra Road, Industrial Estate, Ghatkopar, Mumbai

(z) Samir Dye Chem, Khimji Meghji Hsg., Issaji Street, Mumbai

(aa) Sanman Trade Impex Pvt. Ltd., Guru Gobind Singh Indust., Goregaon, Mumbai

(bb) Saraf Chemicals Ltd., 132, A Besant Road, Worli, Mumbai

(cc) Vibgyor Paints Pvt. Ltd., Blk 1, Shaheen Apt., Marve Road, Mumbai

(dd) Dujodwala Paper Chemicals Limited, 907, Raheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai

(ee) Shalimar Paints Ltd., Dinesh Sheikh Lane, Hawrah

(ix) None of the importers/users filed any responses to the questionnaire or made any other submissions.

(x) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was from 1st January, 2012 to 31st December, 2012. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

(xi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods into India for the past three years, including the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted in this investigation.

(xii) Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.

(xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule6 (7).

(xiv) The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

(xv) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th September, 2014 which was attended by only the domestic industry and their representatives. The domestic industry which presented its views in the oral hearing was requested to file written submissions of the views expressed orally.

(xvi) The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation and considered relevant by the Authority have been examined and addressed in this investigation.

(xvii) At the request of the Authority, the Central Government extended the time period to complete the investigations up to 24th October, 2014.

(xviii) On the spot verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.

(xix) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed. Wherever possible, the interested parties were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

(xx) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 2.10.2014. The post Disclosure Statement submissions were received only from the domestic industry and have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

(xxi) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these essential facts on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

(xxii) *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xxiii) The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 53.69.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 **Submissions by the Domestic Industry**

9. The following submissions have been made by the domestic industry:

I. The product being dumped in the Indian market from the subject country is Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound. The term 'erythritol' indicates the presence of four hydroxyl groups and the prefix 'penta'

indicates that there are five carbon atoms in the molecule.

II. Pentaerythritol can be produced using electrodialysis separation technology or fractional crystallization technology. There is no difference, however, in the products produced through the two technologies. Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade. The principal difference in the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals. Other than this, there is no other material difference between Technical Grade Pentaerythritol and Nitration Grade Pentaerythritol. Both the grades are produced out of the same process. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation can be used in the explosive industry and, therefore, this grade has been designated as "Nitration Grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as Nitration Grade can be used for production of Alkyd Resins and other products (where the other grade, "Technical Grade" Pentaerythritol, is used). Even though there is no major difference in the two grades, the two command some difference in the prices. Normally, nitration grade carries a higher price.

III. The production process, however, largely results in production of Technical Grade. Less than 2% production results in nitration grade, while the production of Di-pentaerythritol is less than 0.5%. More than 97% production is of technical grade. Further, imports are primarily in technical grade. Di-Pentaerythritol and Pentaerythritol are two different kinds of products. Di-Pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration.

IV. Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants.

V. There is no known difference in the subject product produced by the domestic industry and the subject product exported from the subject country. Both have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, tariff classification, etc. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.

C.2 **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

10. None of the other interested parties has responded or raised any issues with respect to the product under consideration and like article.

C.3 **Examination by the Authority**

11. The product under consideration in the present investigation is Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound. The term "erythritol" indicates the presence of four hydroxyl groups, and the prefix "penta" indicates that there are five carbon atoms in the molecule. Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants. The present investigation being a sunset review; the product under consideration remains the same as in the original and all previous investigations.

12. Pentaerythritol is classified under Customs sub heading No 2905.42 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

13. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The issue of like article has already been established by the Authority in the original investigation as well as the subsequent investigations. There is no difference in the product being imported from the subject country and goods being produced by the petitioner. In view of the above position, for the purpose of the present review investigation, the subject goods produced by the applicant and imported from the subject country are treated by the Authority by as like articles in terms of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 **Submissions made by the Domestic Industry**

14. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:

(i) The petition has been filed by M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited.

(ii) Apart from the petitioner, the product under consideration is being produced by M/s Asian Paints (India) Ltd. ("Asian Paints"). While M/s Asian Paints manufactures the product under consideration, the company captively

consumed 52% of its production of Pentaerythritol in 2011-12. The production of M/s Asian Paints to the extent of captive consumption should not be included in the eligible production, as this production does not compete with the dumped material supplied by the foreign producers or sales made by the Indian producers.

(iii) Earlier, there was one more producer of the product under consideration, M/s Perstorp Chemicals India (P) Ltd. ("Perstorp India"). However, M/s Perstorp India has had no domestic production of the product since 2009-10.

(iv) Neither M/s Asian Paint nor M/s Perstorp India can be considered eligible domestic industry.

(v) The petitioner does not import the subject goods from the subject country. Further, it is not related to any exporter or importer of the subject goods from the subject country.

(vi) For the purpose of standing, the petitioner has calculated Indian production both including and excluding captive consumption of M/s Asian Paints. The production of the petitioner constitutes more than 70% of the total Indian production when captive consumption of M/s Asian Paints is excluded and about 55% of the total Indian production when captive consumption of M/s Asian Paints is included. Therefore, the petitioner constitutes domestic industry in both the cases.

(vii) Therefore, the petitioner has sufficient standing to file the petition on behalf of the Indian domestic industry for the product concerned.

D.2 **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

15. None of the other interested parties have responded or raised any issues with respect to the scope of the domestic industry and standing.

D.3 **Examination by the Authority**

16. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

17. The Authority notes that the application has been filed by M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited. The Authority further notes that apart from the applicant, M/s Asian Paints (India) Ltd (hereinafter referred to as "Asian Paints") manufactures the like article in India. The applicant has claimed that the captive and merchant markets constitute two separate markets and that the dumped imports enter the latter. It has been claimed that captive producers do not compete with the dumped material to the extent of captive production. It has been further claimed that Perstorp Chemicals India (P) Ltd. (hereinafter referred to as "Perstorp India"), which has capacities for the production of Pentaerythritol, is not producing the product at present.

18. The Authority notes that it is not necessary to determine whether or not M/s Asian Paints is eligible to be included within the scope of domestic industry since the production of the applicant is sufficient to constitute a major proportion of total Indian production, whether or not the captive production of M/s Asian Paints is included. With respect to Perstorp India, it is noted that as per the information available, the company has not manufactured the product during the period of investigation and so cannot be considered eligible to be included within the scope of domestic industry.

19. It is noted that the production of the applicant in the period of investigation constitutes major proportion of the Indian production, when production for captive use was excluded. When captive production is included, the share of the applicant was again more than fifty percent of the total production in India. After examination of the issue, it is noted that since the production of the applicant constitutes a major proportion in Indian production, both after including and excluding captive consumption by Asian Paints, the applicant has been treated as domestic industry within the meaning of the Rules. In view of the above position and having regard to the Anti-dumping Rules, the Authority determines that M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods during the POI and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Submissions by the domestic industry

20. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export and dumping margin:

a) None of the producers/ exporters from Chinese Taipei has responded to the exporters' questionnaire.

b) Efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Chinese Taipei and to get evidence of price from published sources. However, the domestic industry could not collect any information/evidence such as price lists or quotations of producers of subject goods in the domestic market of Chinese Taipei due to lack of relevant information in public domain and, therefore, it has constructed the normal value in the case of imports from Chinese Taipei by considering import prices of raw material, i.e., Methanol into Chinese Taipei, all other raw material and utility cost and best consumption norms of the domestic industry, best estimates of conversion costs, selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin.

E.2 Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

21. None of the producers/exporters of the subject goods has filed any questionnaire response or legal submission, or has otherwise provided necessary information with respect to normal value, export price or dumping margin.

E.3 Determination of Normal Value by the Authority

22. The Authority notes that none of the exporters from Chinese Taipei has filed any response. As information about actual domestic sales price, information on exports to third country or cost of production in Chinese Taipei and other information as per the questionnaire have not been furnished by the producer/exporter in that country; the Authority has relied upon the best available information for determination of normal value. The Authority has determined normal value in Chinese Taipei on the basis of construction by estimating cost of production in accordance with Rule 6(8) supra. The normal value so determined for Chinese Taipei is mentioned in the dumping margin table below. The normal value has been constructed by adopting import prices of raw material, i.e., Methanol into Chinese Taipei as per Taiwan Customs. All other raw material and utility cost of the domestic industry have been adopted considering best consumption factors and best known estimates of conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin have been added to the cost of production so determined so as to arrive at a constructed normal value.

E.4 Determination of Export Price

23. Since none of the exporters from the subject country has responded to the Authority, the Authority has determined Export Price in respect of imports from Chinese Taipei on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The applicant has determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by IBIS, an independent data supplying agency. The Designated Authority has received transaction wise import data from an Indian government agency, the DGCI&S during the course of the investigations. It is seen that the volumes and prices of imports reported by both DGCI&S and IBIS are comparable. The Authority has considered the data received from DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by applicant domestic industry in view of non cooperation from the exporters from Chinese Taipei. The export price has been determined at ex-factory level after adjusting for ocean freight, marine insurance, bank charges, port and inland freight charges.

E.5 DUMPING MARGIN

24. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin has been determined as follows. It is seen that the dumping margin is more than de-minimis and significant.

Dumping Margin Table

Normal Value	US$/MT	***
Export Price	US$/MT	***
Dumping Margin	US$/MT	***
Dumping Margin %	%	***
Dumping Margin Range	%	45-55

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 **Submissions by the Domestic Industry**

25. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

a) Demand has shown an increasing trend both, including and excluding captive consumption, except a slight decline in the POI.

b) Imports of the subject goods from Chinese Taipei had declined in 2010-11 subsequent to the increase in the quantum of anti-dumping duty recommended by the Authority in mid-term review investigation. However, the volume of imports increased significantly thereafter. Imports from Saudi Arabia, against which anti-dumping investigation has been terminated on 8th November, 2013, and from Russia, against which anti dumping investigation is presently being conducted by the Authority, have increased. The imports from other countries attracting anti-dumping duty (China PR and EU excluding Sweden) have declined in the POI. Anti-dumping duty on imports from Sweden had been revoked in 2011. Imports from Sweden have started entering the Indian port once again in significant volumes.

c) There has been significant price undercutting in the injury period.

d) Landed price of imports are substantially below the cost and selling price of the Domestic Industry. Whereas both cost of production and selling prices increased over the period, the increase in the selling price is less than the increase in the cost of production.

e) Though production has increased slightly, capacity utilization has declined in the POI. Domestic sales volume has declined from 2009-10 to the POI.

f) The market share of the domestic industry has declined with the increase in imports of the subject goods from the subject country and other dumping sources.

g) The domestic industry has been running into losses since 2009-10. Losses have been substantial in the POI. Imports are entering the Indian market much below costs. Per unit cost of sales has increased significantly in the POI when compared with the base year and the previous year. However, the cost of sales per unit of the product has exceeded the per unit selling price, considerably affecting profitability throughout the injury period.

h) Cash loss reported since the base year has increased over the injury period. Return on Capital Employed is significantly negative in the period of investigation when compared with the base year.

i) Inventories with the domestic industry have increased in the POI when compared with the base year, and increased significantly when compared with the previous year.

j) The productivity of the domestic industry has remained at the level similar to the level of production.

k) Dumping margin calculated in respect of imports from Chinese Taipei is significant.

l) Price undercutting is significant without anti-dumping duty. Subject goods are likely to cause severe price suppression and depression once duties are revoked.

m) Performance of the Domestic Industry in terms of capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow, etc. has deteriorated.

n) There are no other factors other than dumping causing injury to the domestic industry. Aside from the subject country, imports are entering the country from certain other countries, but these are already subject to anti-dumping duties or investigations are on-going. Imports from any other country are below *de-minimis*. Demand for the product has increased. There have been no changes in pattern of consumption, technology, trade restrictive practices or conditions of competition that have caused the injury. The export performance of the domestic industry has not caused the injury claimed.

o) There is a causal link between dumped imports from Chinese Taipei and the material injury being caused to the domestic industry.

F.2 **Submissions made by the producers/exporters/other interested parties**

26. No submission has been made by any producer/exporter/other interested parties with regard to the injury and causal link.

F.3 **Examination by the Authority**

27. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

28. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

29. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

30. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from Chinese Taipei are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

31. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

32. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

F.4 Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

a) Demand and Market Share

33. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources, both including and excluding captive consumption by Asian Paints. The demand so assessed can be seen in the tables below, both including and excluding captive production. It is seen that demand of the product under consideration in the country has increased up to 2011-12 and then declined slightly in the POI. However, the demand has increased during the POI as compared to the base year. Whereas the sales of the domestic industry have declined over the injury period, the imports of the subject goods from the subject country first declined in 2010-11 and then increased.

Demand and Market Share in India (including captive consumption)

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Sales of Domestic Industry	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Sales of Other Indian Producers	MT	4,549	5,400	5,400	5,400
Imports – Chinese Taipei (SSR)	MT	2,507	1,223	1,641	1,895

Imports – Russia (on-going)	MT	0	300	900	1,153
Other countries attracting ADD	MT	7,643	5,700	4,524	1,908
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001
Total Demand	MT	22,592	25,614	26,766	26,684
Market Share					
Domestic Industry	%	29.77	25.88	24.35	23.71
Other Indian Producers	%	20.14	21.08	20.17	20.24
Imports- Chinese Taipei (SSR)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
Imports – Russia (on-going)	%	-	1.17	3.36	4.32
Other countries attracting ADD	%	33.83	22.25	16.90	7.15
Other countries	%	5.16	24.84	29.08	37.48

**POI – January 2012-December 2012.*

Demand and Market Share in India (excluding captive consumption)

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Sales of Domestic Industry	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Sales of Other Indian Producers	MT	2,125	2,509	2,592	2,592
Imports – Chinese Taipei (SSR)	MT	2,507	1,223	1,641	1,895
Imports – Russia (on-going)	MT	0	300	900	1,153
Other countries attracting ADD	MT	7,643	5,700	4,524	1,908
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001
Total Demand	MT	20,168	22,723	23,958	23,876
Market Share					
Domestic Industry	%	33.35	29.17	27.20	26.50
Other Indian Producers	%	10.54	11.04	10.82	10.86
Imports – Chinese Taipei (SSR)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
Imports – Russia (on-going)	%	-	1.32	3.76	4.83
Other countries attracting ADD	%	37.90	25.08	18.88	7.99
Other countries	%	5.78	28.00	32.49	41.89

**POI – January 2012-December 2012.*

b) Import volumes and market shares

34. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Volume of imports and imports in relation to production and consumption in India are given in the table below:

Import Volume	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
Chinese Taipei	MT	2,507	1,223	1,641	1,895
Trend		*100*	*49*	*65*	*76*
Imports – Russia (on-going)	MT	0	300	900	1,153
Other countries attracting	MT	7,643	5,700	4,524	1,908

Import Volume	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI*
ADD					
Other countries	MT	1,167	6,362	7,784	10,001
Total Imports	MT	11,317	13,585	14,849	14,957
Imports from Chinese Taipei in relation to:					
Total Imports	%	22.16	9.00	11.05	12.67
Consumption (including captive consumption)	%	11.10	4.77	6.13	7.10
Consumption (excluding captive consumption)	%	12.43	5.38	6.85	7.94
Production (including captive consumption)	%	22.48	10.29	13.78	15.90
Production (excluding captive consumption)	%	28.72	13.60	18.03	20.80

**POI – January 2012-December 2012*

35. The Authority notes that imports of the subject goods from the subject country declined in 2010-11, but increased thereafter despite existing anti-dumping duties and the upward revision of anti dumping duty consequent to the mid-term review on the subject country. The share of imports from the subject country in relation to total imports into India, apparent demand/consumption in India and total production in India has followed the same trend as that of absolute imports. This is the case whether or not captive consumption is taken into account.

F.5 **Price Effect of the Dumped imports and impact on the Domestic Industry**

36. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of subject goods of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury and, thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

a) Price Undercutting and Price Underselling

37. The price undercutting/underselling effects are examined below:

Price Undercutting

Particulars	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Net Sales Realization (NSR) of domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*106*	*132*	*150*
Landed price of imports without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*110*	*143*	*158*
Landed price of imports with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*109*	*150*	*173*

Particulars	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Price undercutting without ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*87*	*81*	*115*
Price undercutting with ADD	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*56*	*-183*	*-248*
Price undercutting without ADD %	%	***	***	***	***
Trend		*100*	*82*	*62*	*77*
Price undercutting with ADD %	%	***	***	***	***
Trend		*100*	*53*	*-139*	*-166*
Price undercutting without ADD%	Range	***	***	***	***
Price undercutting with ADD%	Range	5-10%	0-5%	-5 to -10%	-5 to -10%

Price Underselling

Non-injurious Price of DI	Rs/MT	***
Landed Value without ADD	Rs/MT	***
Price Underselling without ADD	Rs/MT	***
Price Underselling without ADD	%	***
Price Underselling without ADD Range	%	35-45%
Landed Value with ADD	Rs/MT	***
Price Underselling with ADD	Rs/MT	***
Price Underselling with ADD	%	***
Price Underselling with ADD	%	5-15%

38. The Authority notes that without anti dumping duty, the landed price of imports is far below the selling price of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. However, with anti dumping duty, the landed value is above the selling price of the domestic industry resulting in negative price undercutting but it is below the cost of sales of the domestic industry. Further, both with and without anti dumping duty, the landed price of imports is substantially less than the non-injurious price of the domestic industry, thereby resulting in significant price underselling effect.

b) Price Suppression and Depression

39. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The given data shows that the domestic industry's selling price has remained below its cost of sales throughout the injury period, signifying existence of price suppression effect.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*111*	*130*	*157*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Trend		*100*	*106*	*129*	*147*
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*-100*	*-258*	*-154*	*-427*
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*110*	*143*	*158*

F.6 **Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry**

40. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

41. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

42. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Installed Capacity	MT	6,000	6,000	7,000	7,000
Production-PUC	MT	6,453	6,481	6,508	6,517
Trend		*100*	*100*	*101*	*101*
Production-NPUC	MT	52	52	52	44
Total Production	MT	6,505	6,533	6,560	6,560
Trend		*100*	*100*	*101*	*101*
Capacity Utilization	%	108	109	94	94
Trend		*100*	*100*	*86*	*86*
Domestic Sales Volume	MT	6,725	6,629	6,518	6,327
Trend		*100*	*99*	*97*	*94*

43. The Authority notes that the capacity for the production of the product concerned was enhanced by the domestic industry in 2011-12. The volume of production has increased slightly over the injury period. The capacity utilization has fallen in 2011-12 and the POI with the increase in capacity.

44. It is noted that the sales volume of the domestic industry has declined over the injury period despite increase in demand.

b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

45. The profits, return on investment and cash profit of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*111*	*130*	*157*
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*106*	*129*	*147*
Profit/ Loss per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(258)*	*(154)*	*(427)*
Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(255)*	*(150)*	*(402)*
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(221)*	*(126)*	*(359)*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(410)*	*(205)*	*(707)*
Return on Capital Employed (NFA basis)	*%*	***	***	***	***
Trend		*(100)*	*(273)*	*(121)*	*(265)*

46. The Authority notes from the above as under:

(i) Both the selling price and cost of sales of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in cost of sales of the domestic industry was much higher than the increase in the selling price.

(ii) Profitability was negative throughout the injury period. The petitioner has claimed that injury has been inflicted by dumped imports from various other sources in the past as well as in the current injury period. Profitability was significantly adverse in the period of investigation.

(iii) Profits, cash profits, profit before interest & tax and return on capital employed, all followed the same trend as that of profitability. All these parameters were negative during the entire injury period.

(iv) It is clear that the domestic industry has been suffering continued injury in terms of profit-related parameters. The position of the industry with respect to these parameters has deteriorated substantially in the period of investigation as a result of dumping from fresh sources in addition to existing sources.

c) Employment and Wages

47. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	Nos.	67	67	67	67
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***

48. It is noted from the above that the employment level remained constant over the injury period. This is despite increase in capacity and production. Salary and wages increased over the injury period.

d) Productivity

49. The productivity of the domestic industry is given in the following table.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity Per Employee	MT	97.10	97.51	97.91	97.92
Productivity Per Day	MT	18.59	18.67	18.74	18.75

50. The Authority notes that the productivity per employee and productivity per day remained at the same level over the injury period.

e) Inventories

51. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the table below.

Description	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*30*	*1*	*112*

52. It is noted from the above table that the inventory of the domestic industry declined till 2011-12 and increased substantially in the period of investigation. Further, it has increased in the period of investigation in relation to the base year.

f) Magnitude of Dumping

53. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined by the Authority against the subject country in the POI is above *de-minimis* and significant.

g) Ability to raise capital

54. The applicant has argued that given the current state of affairs where the product is consistently not performing well because of persistent dumping, any fresh investment is not envisaged. However, the Authority notes that the ability to raise capital investment in the event of dumping is not relevant since the domestic industry is a multi-product industry.

h) Growth

55. With regard to the growth of the domestic industry, the position is as under:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	0.43	0.42	0.13
Domestic Sales	%	-	-1.43	-1.68	-2.93
Inventory	%	-	-69.81	-95.32	7,826
Profit per MT	%	-	-158	40	-177
Return on Investment (NFA)	%	-	-7.37	6.48	-6.14

56. The Authority notes that the domestic industry has shown negative growth in terms of profit and return on capital employed despite anti dumping duty being in force and revised upwards. The Authority notes that though the production of the domestic industry increased over the injury period, yet the magnitude of increase in production has declined over the period. Domestic sales have declined. Inventories first declined and then increased substantially in the period of investigation. Overall growth of the domestic industry over the injury period was adverse.

i) Factors Affecting Domestic Prices

57. The examination of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that without antidumping duty, the landed value of the subject goods imported from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling, both with and without anti-dumping duty, in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the POI and, therefore, it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the subject country and other dumping countries.

F.7 **Other Known Factors and Causal Link**

58. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(a) Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

59. The Authority notes that demand for the product has grown over the injury period, except a slight decline in the POI. However, demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to the base year. Hence, a decline in demand cannot be causing injury to the domestic industry. Further, the Authority has found no evidence of a change in the pattern of consumption of the product.

(b) Volume and Prices of imports not sold at dumped prices

60. The Authority notes that apart from the subject country, imports of the subject goods from EU (excluding Sweden) and China are attracting anti dumping duties. The Authority had initiated an anti-dumping investigation in respect of imports from Saudi Arabia, which have been terminated by the Authority as the margin of dumping determined by the Authority for the only exporter in Saudi Arabia was de-minimis. Further, the Authority has initiated an investigation on imports from Russia which is in process. As regards the imports from all other countries, the Authority notes that the volume of imports is de-minimis.

(c) Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

61. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

62. The Authority notes that there are no developments in technology with respect to the product or its manufacture that could have resulted in the injury caused to the domestic industry.

(e) Export performance

63. The Authority notes that the domestic industry does export the product. However, the exports in 2011-12 became nil and remained less in the POI in comparison to the base year. However, information relating to injury has been examined separately for domestic operations to the extent possible. Any deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of the injury.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Exports by the Domestic Industry	MT	20	40	-	10

(f) Productivity of the domestic industry

64. The Authority notes that productivity of the domestic industry has increased slightly over the period in accordance with the increase in production. Hence, a decline in productivity cannot be a cause for the injury.

(g) Performance of other products

65. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury found since all parameters were examined with respect to the like article in this investigation.

66. The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

(i) The volume of imports of the subject goods from the subject country has increased after 2010-11.

(ii) Imports of the subject goods from the subject country are undercutting domestic industry's prices and also causing price suppression.

(iii) Domestic sales of the product have declined over the injury period despite increase in demand.

(iv) Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject country, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

F.8 **Conclusion on Injury and Causation**

67. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India has been significant despite the fact that anti dumping duty is in force which was also modified upwards in the mid-term review investigations. Production of the domestic industry has increased. However, sales have declined over the period. Profit-related parameters have all been significantly adverse. Inventories have increased substantially in the period of investigation. The Authority concludes that the injury to the domestic industry on account of dumping of the subject goods from the subject country is significant.

F.9 **Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury**

Submissions by Domestic Industry

68. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury:-

i. There is continued dumping of the product under consideration from the subject country. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty be revoked;
ii. The landed price of imports from the subject country is lower than the selling price and cost of sales of the Domestic Industry. These producers would, therefore, aggressively target Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.
iii. Exporters in the subject country have capacities far in excess of Indian demand. One producer, Lee Chang Kung has a production capacity of 23,000 TPA.
iv. Considering the known capacity available with one of the producers in the subject country and the Indian demand of approximately 25,000 MT, there is strong likelihood that dumping is likely to intensify in the event of revocation of anti-dumping duties.
v. In the current period of investigation, the volume of dumped imports has remained significant, and the dumping margin is also quite significant. This clearly establishes that the dumping is likely to continue and indeed intensify in the event of revocation of present anti-dumping duty. Significant current dumping margin in the presence of anti-dumping duty is a strong indication of likelihood of dumping.
vi. Dumped imports from the subject country have remained significant and continue to hold significant market share. Further, there has been a significant price undercutting by the dumped imports from the subject country. Thus, cessation of anti-dumping duty shall cause significant price suppressing and depressing effect.
vii. The Domestic Industry has suffered continued injury from the dumped imports. Domestic Industry is vulnerable to injury from dumped imports. Current levels of import volumes and dumping margin from the subject country create great possibility that expiry of duty will result in intensified dumping of subject goods from the subject country in the Indian market given the fact that subject country holds excessive capacities.
viii. In the event of cessation of current anti-dumping duty and if domestic industry chooses to sell at import prices, the domestic industry would suffer significant financial losses. The return on investment and cash profit are already significantly negative, and would deteriorate even further.

Examination by the Authority

69. The present investigation is a sun set review of anti-dumping duties earlier imposed on the imports of Pentaerythritol from Chinese Taipei. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this case, as there are continued dumped imports, the Authority is required to examine whether revocation of anti dumping duty is likely to lead to continued dumping of the

product. Exporters and producers from the subject country are exporting the subject goods at dumped prices. In the previous investigations also the dumping margin was significant. In such a situation, the Authority has no reason to believe that dumping will not intensify if the existing duty is revoked.

Level of current and past dumping margin

70. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigation and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports continued to be made at dumped prices and are likely to continue at dumped prices with revocation of anti dumping duties. Volume of imports declined in 2010-11 from Chinese Taipei and has thereafter increased and has remained significant throughout the injury period even after modification in the quantum of anti-dumping duties subsequent to mid-term review investigations. Further, the volume of imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duties, given the significant price undercutting without the anti-dumping duty and underselling effects, both, with and without the antidumping duty during the POI.

Price attractiveness of Indian market

71. The price at which the subject goods are being exported by Chinese Taipei to India is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. At the landed price in India, there is significant undercutting without anti dumping duty. Thus, with the revocation of anti-dumping duties, the Indian prices would be too attractive to these exporters and there is strong likelihood that Indian consumers would import substantially due to increasing demand.

Significant capacities with the subject country

72. As claimed by domestic industry, even one single producer in Chinese Taipei has sufficient capacity, approximately equal to the Indian demand of subject goods. In the event of revocation of anti-dumping duty, the producers in Chinese Taipei are likely to intensify dumping of the subject goods.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

73. Considering the current level of imports from the subject country despite increase in the quantum of anti dumping duty after midterm review, the Authority concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices would undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

Magnitude of injury and injury margin

74. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods' imports from the subject country to determine the injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

Injury Margin

Particular	US $ /MT
Exchange Rate	***
Non Injurious Price (NIP)	***
Landed Price	***
Injury Margin	***
Injury Margin %	***
Injury Margin % Range	35-45

75. It is noted that the level of injury margin, as determined, is considered significant.

Indian Industry's interest:

76. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured by using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti

dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

G. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

G.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

77. None of the exporters/importers/users and other opposing interested parties has made any post Disclosure Statement submissions.

G.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

78. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

i) None of the foreign producers has cooperated or even participated in the review investigations.
ii) The imports have continued to enter at dumping prices.
iii) NIP may be re-determined considering actual cost of production of the domestic industry and return on net present value of the investment.
iv) Both dumping margin and injury margin are significant and positive in the POI, implying likelihood of dumping and injury.
v) The anti dumping duty on Pentaerythritol is required to be extended further for a period of five years.
vi) Duty may be imposed in fixed form and in US$ terms.

G.3 Examination by the Authority

79. The Authority has reached to the conclusion that the above arguments of the domestic industry are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the Disclosure Statement earlier and have also been dealt with again in the Final Finings Notification under appropriate headings.

H. CONCLUSION

80. The Authority notes that none of exporters from Chinese Taipei and importers/users and other opposing interested parties in India participated in the investigation, i.e., they neither submitted post initiation responses nor participated in the Oral Hearing or made any post Disclosure Statement submissions. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury and post Disclosure Statement submissions made by the Domestic Industry, the Authority concludes and recommends that:

i) The volume of dumped imports from the subject country in absolute terms and relative to apparent consumption and production in India has been significant despite the fact that anti dumping duty is in force which was also modified upwards in the mid-term review investigations.

ii) Both dumping margin and injury margin are significant and positive in the POI, implying likelihood of dumping and injury.

iii) The injury to the domestic industry on account of dumping of the subject goods from the subject country is significant.

iv) Considering the current level of imports from the subject country despite increase in the quantum of anti dumping duty after midterm review, there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty.

v) The price at which the subject goods are being exported by Chinese Taipei to India is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. At the landed price in India, there is significant undercutting without anti dumping duty. Thus, with the revocation of anti-dumping duties, the Indian prices would be too attractive to these exporters and there is strong likelihood that Indian consumers would import

substantially due to increasing demand.

vi) It is, therefore, concluded that the dumping and injury is likely to continue if the anti dumping duty is revoked.

I. RECOMMENDATION

81. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury, causal link and likelihood. However, only the domestic industry responded to the investigation. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury, causal link thereof and the likelihood of dumping and injury, and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

82. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S. No	Heading	Description of goods	Specifi-cation	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit of measur-ement	Currency
1	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	664	MT	US$
2	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Chinese Taipei	Any	Any	Any	664	MT	US$
3	2905 42	Pentaerythritol	Any grade	Any	Chinese Taipei	Any	Any	664	MT	US$

83. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

84. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.